बिहार सरकार
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
आदेश

आदेश संख्या–12/वि0–102/2026– 733 /पटना, दिनांक– 14.5.26

संवेदक Ram Pramod Singh (सूचीबद्धता सं0–270820240579) को कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय के कार्यालय आदेश सं0–2839, दि0–31.12.2024 के द्वारा किये गये डिबार के विरूद्ध दायर अपील अभ्यावेदन पर दिनांक–11.05.2026 को सुनवाई के संबंध में।

11.05.2026 संवेदक Ram Pramod Singh बभनामा, जिला–लखीसराय (सूचीबद्धता सं0–270820240579) एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय उपस्थित।

लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय अंतर्गत संवेदक Ram Pramod Singh को लखीसराय अन्तर्गत हर घर नल का जल योजना के तहत एकरारनामा संख्या–MBD-93/2019-20 में निहित प्रावधानों के अनुरूप अनुरक्षण एवं मरम्मति संबंधी कार्यों में सम्यक अभिरूचि नहीं लेने एवं योजना अक्रियाशील रहने के कारण कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय के कार्यालय आदेश संख्या–2839, दि0–31.12.2024 द्वारा डिबार किया गया।

संवेदक के द्वारा एकरारनामा के अनुरुप कार्य पूर्ण करने के पश्चात क्षेत्रीय मुख्य अभियंता भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर के पत्रांक–1400, दि0–15.12.25 के द्वारा संवेदक को लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय अंतर्गत उक्त एकरारनामा में डिबार मुक्त करने हेतु अनुशंसा किया गया।

क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में दिनांक–11.05.2026 को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा इस मामले की सुनवाई की गयी, जिसमें संवेदक तथा कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय के द्वारा भाग लिया गया।

सुनवाई के क्रम में संवेदक के द्वारा उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा गया एवं कार्यपालक अभियंता के द्वारा अवगत कराया गया कि संवेदक के द्वारा एकरारनामा में निहित शर्तों के तहत आवंटित कार्य में सम्यक अभिरूचि नहीं लेने के कारण संवेदक को डिबार किया गया था। तत्पश्चात्, कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि डिबार करने के बाद संवेदक के द्वारा अनुरक्षण नीति अंतर्गत निर्धारित मानक के अनुरूप कार्य किया जा चुका है ।

अतः क्षेत्रीय पदाधिकारी के प्रतिवेदन एवं मुख्य अभियंता, भागलपुर प्रक्षेत्र, भागलपुर से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक समीक्षोपरांत कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय के द्वारा संवेदक Ram Pramod Singh (सूचीबद्धता सं0–270820240579) को अगली निविदा में भाग लेने से डिबार करने संबंधी आदेश को एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

ह0/–
(पंकज कुमार पाल)
सचिव

ज्ञापांक–12 / वि0–102 / 2026– 733 पटना, दिनांक– 14.5.26

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव / अभियंता प्रमुख, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना / ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना / भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना / लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना / प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, बिहार, पटना / बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना / बुडको, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभय 14.05.26

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12 / वि0–102 / 2026– 733 पटना, दिनांक– 14.5.26

प्रतिलिपि–अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव (मुख्यालय) / सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता / सभी अधीक्षण अभियंता / सभी कार्यपालक अभियंता / आई0 टी0 मैनेंजर, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0 टी0 मैनेंजर को निदेश है कि इसे विभागीय वेवसाईट पर अपलोड किया जाय।

अभय 14.05.26

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

Speed Post/
Email

ज्ञापांक–12 / वि0–102 / 2026– 733 पटना, दिनांक– 14.5.26

प्रतिलिपि–कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, लखीसराय / संवेदक, Ram Pramod Singh बभनामा, जिला–लखीसराय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभय 14.05.26

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)

ज्ञापांक–12 / वि0–102 / 2026– 733 पटना, दिनांक– 14.5.26

प्रतिलिपि–सचिव के प्रधान आप्त सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अभय 14.05.26

(अभय कुमार सिंह)
मुख्य अभियंता (रूपांकण)